।कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर।

F 14( )2014/FCA/PCCF/CCF EDS-II Dated 12.7.2017

मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा प्रस्ताव (कोटा से धरनावदा सडक निर्माण कार्य ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Road/6979/2014) में संशोधन कर प्रस्ताव ऑनलाईन पुनः प्रस्तुत किया गया है ऑनलाईन प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है।

1. बिन्दु संख्या 1 :– क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण स्थल की KML File अपलोड की गई है किन्तु संलग्न फाइल से यह मालूम नही होता है कि प्रस्ताव में गैर वन भूमि कहॉ मिली है। क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र (स्थल पर कोई अतिक्रमण नही होना एवं सभी विवादों से मुक्त होना) संलग्न नही किया गया है।
2. बिन्दु संख्या 2 :– क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना 166/– प्रति मानव दिवस के आधार पर प्रस्तुत की गई है जबकि श्रमिक दर 201/– प्रति मानव दिवस हो चुकी है तद्नुसार संशोधित विस्तृत क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
3. बिन्दु संख्या 4 :– जिला कलेक्टर द्वारा जारी वनाधिकार प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड किये गये है किन्तु हार्ड प्रति (मूल प्रति) अभी भी प्रस्तुत नही की गई है।
4. बिन्दु संख्या 5 :– प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के KML File & DGPS map सही नही है संशोधित प्रस्तुत किये जाने प्रस्तावित है।
5. बिन्दु संख्या 6 :– MOEF & CC Lucknow द्वारा संबंधित ठेकेदार/अभियंता के विरूद्व एफ0आई0आर0 की प्रति एवं डेमेज रिपोर्ट चाही गई थी जो तक अप्राप्त है।
6. बिन्दु संख्या 7 :– पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 16 में से पुराने दस्तावेजो को नही हटाया गया है। जो हटाया जाना प्रस्तावित है।
7. प्रस्ताव में दो सैट हार्ड प्रति के चाहे गये थे जो अपेक्षित है इनमें से एक सेट मूल प्रतियो के साथ एवं एक सेट फोटो प्रति जिसमें सभी दस्तावेजो पर यूजर ऐजेन्सी (वन विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों के अतिरिक्त) एवं उप वन संरक्षक (वन विभाग द्वारा जारी एवं एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट समस्त नक्शे, जमाबंदी राजस्व मेप आदि) पर हस्ताक्षर मय नाम, पदनाम एवं दिनाक सहित मुहर लगाया जाना प्रस्तावित है।
8. प्रस्ताव में अधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई सूचना को मूल दस्तावेज से जिसमें अधिकृत अधिकारी के हसताक्षर मय नाम पदनाम एवं दिनांक अंकित हो से अपलोड किया जाना प्रस्तावित है। अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है।
9. प्रस्ताव में एम0ओ0ई0एफ लखनउ द्वारा उनके पत्रांक दिनांक 18.9.2015 से चाही गई सूचनाए 2 वर्ष उपरांत भी अपूर्ण भिजवाई गई है। अतः विलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।
10. प्रस्ताव में उप वन संरक्षक बारां यह सुनिश्चित कर लेवे कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन हुआ अथवा नही । इस हेतु स्पष्ट रिपोर्ट भिजवावे।

उपरोक्त बिन्दुओ की सूचना अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटा को भिजवाया जाना प्रस्तावित है। अतः सूचना मय हार्ड प्रति के भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(P.C. KUMAWAT)
DCF (FCA)
JAIPUR